Sl. No.	Name of Association	Year	Amount Reported	Purpose(s) of receipt
8.	Gram Vikas Parished (Babu Saheb Dyadhi) PO & Distt. Madhubani	1995-96	Rs. 1807116/-	Health Care, Lok Education, Vocational Training and Rural Development.
9.	Self-Employed Women's Association Mithial, Mangraini Road, Madhubani.	1995-96	Rs. 100000/-	Development Work
10.	Society for Rural Development, Loher-Sari Chowk, Ward No.3	1995-96	Rs. 225100/-	Training-cum-Production Centre (leaf-cum-Plate Making).
11.	Gramin Seva, Vill. & P.O. Sunder Birajeet Via-Madhepur, Madhubani.	1996-97	Rs. 741130/-	Legal Aid & community Organisation, Flood Victims.
12.	Samajik Vikas Sansthan PO Bela, Via Madhepur, Madhubani.	1996-97	Rs. 312400/-	Sustainable Agricultural Growth and Equity (SAGE).
13.	Gram Vikas Parishad, Babu Saheb Dyodhi, PO & Distt. Madhubani	1996-97	Rs. 1301150/-	Health Care, Lok Education & Rural Development.

The information for the year 1997-98 has not become due.

Committee to Reassess Security Cover to VIPs

1629. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have issued new guidelines for the security of VVIP/VIP;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have set up any Committee to reassess the categories of protection being accorded to different persons; and

(d) if so, the details thereof alongwith the terms of reference of the said Committee?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHAMMAD MAQBOOL DAR): (a) and (b) Govt. have recently reviewed the security arrangements for VVIPs/VIPs in the context or reducing inconvenience to the general public. Necessary guidelines in order to reduce inconvenience to the general public during movements of Prime Minister by road, have already been issued to the concerned authorities.

(c) and (d) It has been decided to constitute a Committee for assessing/revising the categorisation of protected persons for provision of appropriate security.

Rationalisation of Security Cover to VIPs

1630. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: SHRIMATI VEENA VERMA: SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have lately taken steps to rationalise the security cover provided to VIP and not so important persons;

(b) the details in this regard, indicating details of the persons whose security has been reduced or withdrawn and those to whom security has been provided a fresh or augmented this year; and

(c) the expenditure incurred on providing such security cover during 1995-96, 1996-97 and the current year so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHAMMAD MAQBOOL DAR): (a) and (b) The need for security and scale of security arrangements provided to individuals facing threat are reviewed periodically. This is a continuing exercise. The security arrangements are modified/withdrawn or provided a fresh as warranted from time to time.

(c) The approximate expenditure incurred by Delhi Police from 1995-96 is as follows:

1995-96 :	Rs. 19.11 crores.
1996-97 :	Rs. 19.86 crores.
1.4.97 to 30.6.97 :	Rs. 7.12 crores.

मंदिरों से मूर्तियों की चोरी

1631. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मंदिरों से मूर्तियों की चोरी होने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1995 के दौरान पुरावस्तुओं / मूर्तियों की चोरी के 280 मामले / वारदातें हुई। 1996 के दौरान हुई ऐसी वारदातों की कुल संख्या 349 थी। तथापि, वर्ष 1996 के दौरान 721 मूर्तियों की चोरी हुई जबकि इससे पहले के वर्ष में 948 मूर्तियों की चोरी हुई।

(ग) से (ङ) "पुलिस" तथा "सार्वजनिक व्यवस्था" राज्य के विषय है, अत: अपराध का पंजीकरण, जांच, पता लगाना तथा उसकी रोकथाम करना मुख्यतया राज्य सरकारों का ही दायित्व है। पुरावस्तु (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के सिवाए पुरावस्तुओं के भारत से बाहर निर्यात को निषिद्ध किया गया है, के उपबंधों को भारत में राजनयिक मिशनों के ध्यान में ला दिया गया है। सरकार आसूचना और प्रवर्तन एजेन्सियों से सम्बन्धित आधारभूत संरचना को आधुनिक बनाए जाने और उसे सुदृढ़ किए जाने पर जोर देती है ताकि पुरावस्तुओं / मूर्तियों आदि की भारत से बाहर तस्करी की रोकथाम करने के लिए उन्हें और कारगर उपाय करने में सक्षम बनाया जा सके।

आतंकवाद का मुकाबला करने में सुरक्षा बलों और अन्य अभिकरणों की भूमिका

1632. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री राम गोपाल यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों और कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने वाले सुरक्षा बलों व अन्य अभिकरणों की भूमिका स्पष्ट करने और उसे निर्धारित करने पर विचार कर रही है या करने का विचार रखती है;

(ख) क्या पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक ने सरकार से यही मांग की है और इस संबंध में प्रधान मंत्री को एक पत्र भी लिखा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही सशस्त्र सेनाओं तथा दूसरी एजेंसियों की भूमिका पहले ही, विद्रोह विरोधी आपरेशन चलाने तथा राज्य सरकारों के घनिष्ठ सहयोग से लोगों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने वालों के रूप में परिभाषित की गई है।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान्। पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक द्वारा दिए गए सुझावों की जांच की जा रही है।